न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2024

बउनवान

ताज मोहम्मद आयु 74 वर्ष पुत्र श्री अलफूशाह जाति मुसलमान निवासी कलमण्डा तहसील व जिला बारां (निगराकार)

बनाम

सिराज मोहम्मद पुत्र छोटूखां जाति मुसलमान निवासी कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां, राज0 (गैरनिगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 पट्टा निरस्तीकरण ग्राम पंचायत कलमण्डा दिनांक 06.05.2022 पट्टा संख्या 1296 सिराज मोहम्मद पुत्र छोटूखां निवासी कलमण्डा

उपस्थिति :– 1. श्री ओम प्रकाश मेहता II अभिभाषक (निगराकार)
2. श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (गैरनिगराकार)

निर्णय दिनांक 05.05.2025

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कलमण्डा द्वारा बिना मौका तस्दीक किये गैर निगराकार का पट्टा दिनांक 06.05.2022 पट्टा संख्या 1296 जारी किया गया है जो निगराकार के खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1203 रकबा 0.07 है. में जारी किया गया है तथा उसका दरवाजा भी निगराकार के खाते की जमीन में दर्शाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार के पिता अल्फूशाह की जगह में उसकी लड़की समीम पुत्री छोटूशाह जो वर्तमान में गैर निगराकार के पास ही रह रही है जिसमें दो पक्के कमरों का निर्माण कर लिया है उनका रास्ता दूसरी दिशा में है तथा उसके पीछे सिराज की जगह थी। सिराज का रास्ता शुरू से ही समीम द्वारा बनाये गये कमरों में से ही निकलता था किन्तु उसके द्वारा पक्का निर्माण कर लेने से रास्ता बंद होने के कारण जबरन निगराकार की खाते की भूमि में दरवाजा निकाल लिया गया है जबकि गैर निगराकार को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 बउनवान ताजमोहम्मद बनाम सिराज मे पाबन्द किया हुआ है फिर भी जबरन दरवाजा निकालकर रास्ते का उपयोग करना चाहता है इस प्रकार ग्राम पंचायत कलमण्डा द्वारा ना मौका देखा गया न किसी खसरा नं. का रिकार्ड प्राप्त किया गया ना ही पट्टे मे कोई खसरा नं0 अंकित किया गया है इस प्रकार ग्राम पंचायत कलमण्डा द्वारा पारित पट्टा संख्या 1296 दिनांक 06.05.2022 विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्ते किये योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकार को तथा अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत कलमण्डा का रेकार्ड तलब किया गया।

गैर निगराकार जर्ये अभिभाषक उपस्थित आया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र दिनांक 13.02.2025 से गलत रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस संबंधित को व्यक्तिशः रेकार्ड की कार्यालय प्रति लेकर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया। उपरानुसार पत्रावली की कार्यालय प्रति प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.06.26 17:01:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार ने विधिविरूद्ध तरीके से ग्राम पंचायत कलमण्डा से पट्टा संख्या 1296 जारी करवा लिया जबकि गैर निगराकार को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 बउनवान ताजमोहम्मद बनाम सिराज मे पाबन्द किया हुआ है कि "वादी के खातेदारी की भूमि से कोई रास्ता कायम नहीं किया जावे।" गैर निगराकार ने उक्त निर्णय की जानकारी होने के बावजूद भी फर्जी एवं कूटरचित पट्टा जारी करवा लिया जो निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार ने कथन किया कि ग्राम पंचायत कलमण्डा ने गैर निगराकार के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है जो पूर्णतया वैध है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है। इसलिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का निर्णय दिनांक 31.03.2022 ग्राम पंचायत कलमण्डा के विरूद्ध प्रभावी नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार गैर निगराकार के पक्ष में पट्टा क्रमांक 1296 जारी किया गया है जो पूर्णतया वैद्य है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हम अभिभाषक गैर निगराकार के इस कथन से सहमत हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का निर्णय दिनांक 31.03.2022 ग्राम पंचायत कलमण्डा के विरूद्ध प्रभावी नहीं है। परिणामस्वरूप हस्तगत निगरानी सारहीन होना पाई जाती है।

अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारां को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में गलत रेकार्ड भिजवाये जाने के संबंध में दोषी कार्मिक के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत प्रभावी कार्यवाही अमल में लावें।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.06.26 17:01:13 IST
Reason: SelfAttested